न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 03/2017

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नानगा पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–माली, निवासी–फतेहरामपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। (मृतक)
   1/1. कमला माली पत्नी स्व0 श्री नानगा, जाति–माली, निवासी–प्लाट नं0 218, महावीर नगर 1, चौरडिया पैट्रोल पम्प के पीछे, सांगानेर, जयपुर।
   1/2. प्रभात माली पुत्र स्व0 स्व0 श्री नानगा, जाति–माली, निवासी–प्लाट नं0 218, महावीर नगर 1, चौरडिया पैट्रोल पम्प के पीछे, सांगानेर, जयपुर।
   1/3. प्रहलाद माली पुत्र स्व0 श्री नानगा, जाति–माली, निवासी–प्लाट नं0 218, महावीर नगर 1, चौरडिया पैट्रोल पम्प के पीछे, सांगानेर, जयपुर।
   1/4. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री नानगा, जाति–माली, निवासी–प्लाट नं0 218, महावीर नगर 1, चौरडिया पैट्रोल पम्प के पीछे, सांगानेर, जयपुर।
   1/5. रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री नानगा, जाति–माली, निवासी–प्लाट नं0 218, महावीर नगर 1, चौरडिया पैट्रोल पम्प के पीछे, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर राजकीय अभिभाषक।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 13.12.2017

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम फतेहरामपुरा की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन तलाई दर्ज है, जिसके हाल खसरा नं0 6/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म जमीन बारानी सोयम नानगा पुत्र श्योनारायण, जाति–माली की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम फतेहरामपुरा की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, जिसके हाल खसरा नं0 6/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म जमीन तालाबी सोयम नानगा पुत्र श्योनारायण माली की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 6/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फतेहरामपुरा नानगा पुत्र श्योनारायण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.09.1978 को नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होगें। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन तलाई का

दिनांक 10.09.1978 को नानगा पुत्र श्योनारायण को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 से पूर्व भी यह भूमि कृषि योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय का कथन है कि रेफरेन्स अधीन आराजी खसरा नम्बर 6/1 रकबा 5 बीधां 4 बिस्वा व इसके अलावा खसरा नम्बर 6/2 रकबा 3 बीधा को गलत रूप से पुराने रिकार्ड में गैर–मुमकिन तलाई अंकित होना दर्शाया गया हैं जबकि वास्तव में वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से तलाई की श्रेणी में नहीं हैं तथा मौके पर आस–पास कोई पानी का बहाव व भराव क्षेत्र नहीं हैं। उक्त दोनों खसरा किसी भी रूप से तलाई की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में किस्म बरानी हैं, के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त आराजी को खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में गलत रूप से गैर–मुमकिन तलाई राजकीय भूमि दर्शाई गई हैं जबकि वास्तविकता यह हैं कि मिसल हकीयत सम्वत् 1984 में यह खसरा गैर–मुमकिन दर्ज हैं न कि गैर–मुमकिन तलाई। राजस्थान भू–राजस्व (सर्वे अभिलेख तथा बन्दोबस्त) सरकारी नियम, 1957 के नियम 39 में वर्णित भूमि की किस्म (क) सिंचित (ख) सूखी काश्त (ग) असिंचित–अकृर्षित (ध) असंचित कृषि अयोग्य–गैर मुमकिन बताया गया हैं। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा नं0 6 को पूर्व में राजस्व रिकार्ड में कभी भी जलाशय वाली भूमि नहीं लिखा गया हैं। अतः यह स्पष्ट हैं कि 15.8.1947 को व इससे पूर्व कभी भी गैर–मुमकिन तलाई किस्म नहीं रही हैं। सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011–2030 में वादग्रस्त खसरा नम्बर की आराजी को गलती से व भूल से गैर–मुमकिन तलाई अंकित की गई हैं जबकि मौके पर किसी भी प्रकार की कोई तलाई कभी भी नहीं रही हैं ना ही कभी जलभराव क्षेत्र रहा हैं। राजस्व रिकार्ड के नक्शे से भी जाहिर होता हैं कि खसरा

नम्बर 6 में किसी प्रकार की कोई तलाई अंकित नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी जो दिनांक 10.9.1978 को भूमि की मौके की स्थिति को मध्यनजर तथा कभी भी तलाई क्षेत्र नहीं होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए भूमि की किस्म परिवर्तन पर उप खण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन की गई हैं जिसका नामान्तरकरण संख्या 146 आंवटी नानगा के नाम स्वीकार किया गया हैं। तत्पश्चात् दिनांक 21.12.1988 को राजस्व अभियान में खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। अप्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। भू–प्रबंध में गलत रूप से गैर–मुमकिन तलाई दर्ज की गई है जबकि विवादग्रस्त आराजी की राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई किस्म जमीन दर्ज होने से किस्म जमीन बारानी सोयम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा परिवर्तित कर आवंटन किया गया है। मौके पर तहसीलदार द्वारा कब्जा संभलाया गया है और आवंटी के जीवनकाल में आवंटी का तथा अब वारिसान का लगातार कब्जा–काश्त है। मौके पर कोई तलाई नही है। आवंटी को खातादारी अधिकार दिये जा चुके है। अप्रार्थीगण काश्तकार हैं तथा जीविकापार्जन का एकमात्र साधन यह कृषि आराजी ही हैं जिससे अपने परिवार का पालन–पोषण किया जा रहा हैं। लंबे अन्तराल के बाद में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम फतेहरामपुरा की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज है। जिसके हाल खसरा नं0 6/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बारानी सोयम नानगा पुत्र श्योनारायण की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। वरवक्त बहस अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय का कथन रहा हैं कि सेटलमेन्ट से पूर्व मिसल हकीयत सम्वत् 1984 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज नहीं रही हैं। भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत् 2011–2030 में वादग्रस्त आराजी को गलती से व भूल से गैर–मुमकिन तलाई दर्ज की हैं। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन विचारणीय प्रकरण में सारहीन हो जाता हैं क्योंकि मिसल हकीयत सम्वत् 1984 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन दर्ज हैं अर्थात् वादग्रस्त आराजी मिसल हकीयत 1984 के अनुसार भी काश्त योग्य नहीं थी। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में

वादग्रस्त आराजी को गैर–मुमकिन तलाई दर्ज करने को किसी द्वारा चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया हैं और प्रकरण के निस्तारण हेतु यह एक सद्भाविक सुलभ दस्तावेज हैं। अतः वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 10.09.1978 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन नानगा पुत्र श्योनारायण को दिनांक 10.09.1978 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0 146 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर मुमकीन तलाई भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन तलाई भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी किसी समय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार,

फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 6 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा (हाल ख0न0 6/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा) वाके ग्राम फतेहरामपुरा आवंटन दिनांक 10.09.1978 बहक नानगा पुत्र श्योनारायण को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर मुमकीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 07.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया।

13/12/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर